

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1090/2024**

IN THE MATTER OF:

MADHUBAN BAPUDHAM WELFARE SOCIETY

...APPLICANT(s)


VERSUS

NAGAR NIGAM GHAZIABAD & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27.08.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.	
2.	THE COPY OF SAID LETTER IS ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE-1.	
3.	THE COPY OF SAID LETTER IS ATTACHED HEREWITH AS ANNEXURE-2.	

 THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 04.12.2024

PLACE: NOIDA

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO.-1090/2024**



IN THE MATTER OF:

MADHUBAN BAPUDHAM WELFARE SOCIETY ...APPLICANT(s)

VERSUS

NAGAR NIGAM GHAZIABAD & ORS. ...RESPONDENT(s)

RESPONSE IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 27-08-2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, INDRA VIKRAM SINGH aged about 55 years, S/o LATE SUNDER SINGH, CURRENTLY WORKING AS DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD . UTTAR PRADESH. DO HEREBY SOLEMNLY AFFIRM AND STATE AS UNDER : -

1. That, i am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.
2. That, the matter was taken up by this Hon'ble Tribunal on the basis of an application filed u/s 14 and 15 of the National Green Tribunal, Act. 2010 by the applicant.
3. That in said application it has been alleged that Respondent no. 01 Ghaziabad Nagar Nigam has been regularly dumping the solid waste/garbage inside the premises of a fully functional STP situated in pocket-D, Madhuban Bapudham, residential scheme, Ghaziabad. Further allegation is about uprooting of approximately 100 trees inside the STP.



✓ 

1-

04 DEC 2024


4. That, Hon'ble Tribunal vide order dated 27.08.2024 was pleased to issue notice to the Respondents for filing response by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing.
5. That, in pursuant to Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi passed order on dated 27.08.2024, a letter was issued to Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Ghaziabad on dated 03.12.2024 for shifting of solid waste/garbage deposited inside the premises of sewage treatment plant having capacity of 56 MLD situated in pocket-D, Madhuban Bapudham, Residential scheme, Ghaziabad as well as scientifically disposal of solid waste in accordance with Solid Waste Management Rules 2016. The copy of said letter is attached herewith as **Annexure-1**.
6. That, in response to above a letter dated 27.11.2024 was received from Ghaziabad Nagar Nigam regarding shifting/processing of solid waste/garbage to processing site situated at pipe line road, Bhikanpur, Ghaziabad collected inside the premises of sewage treatment plant having capacity of 56 MLD situated in pocket-D, Madhuban Bapudham, Residential scheme, Ghaziabad. The copy of said letter is attached herewith as **Annexure-2**.


✓
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Ghaziabad on this 04 day of December, 2024, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 6 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.


✓
DEPONENT


ATTESTED
(Sandeep Sharma)
Reg. No. 136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)



04 DEC 2024

2-

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

Phone No (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (Fax)

Letter no.

/NGT-229/OA-1090/2024

Date- 03/12/2024

प्रेषक,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण

विषय: मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पाकेट डी स्थित एस0टी0पी0 प्लॉट के अन्दर विगत वर्षों में वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये कूड़े को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक याचिकाकर्ता श्री लीलाधर मिश्रा पुत्र श्री ख्याली दत्त, निवासी एम-460बी, संजय नगर, गाजियाबाद द्वारा मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के परिसर में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा डम्प किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटाये जाने सम्बन्धी याचिका मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष योजित की गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओ0ए0 संख्या 1090 / 2024 Madhuban Bapudham Welfare Society Vs Nagar Nigam, Ghaziabad & Ors में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:-

“.....2. Issue notice to the Respondents for filing response by way of affidavit atleast one week before the next date of hearing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

3. List on 06.12.2024.”

उल्लेखनीय है कि वर्ष-2023 एवं 2024 में कॉवड यात्रा के दौरान मेरठ रोड पर यातायात बाधित होने के कारण तात्कालिक रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अस्थाई रूप से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के परिसर में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा शहर का सॉलिड वेस्ट/गारवेज डम्प किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 23.09.2024 के क्रम में नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित पत्रांक 949/न0आ0/2024-25 दिनांक 27.11.2024 जो कि अद्योहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित है, के माध्यम

Letter_2023_24_Sunil_RO SIR



04 DEC 2024


ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Ghaziabad (U.P.)

3-


से मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थापित एस0टी0पी0 के परिसर से एकत्रित ठोस अपशिष्ट को परिवहन कर पाईप लाईन रोड भिखनपुर, गाजियाबाद स्थित प्रोसेसिंग साईट पर शिपिंग किये जाने की सूचना दी गयी है। अग्रेतर प्रश्नगत प्रकरण पर रिस्पॉश दाखिल किया जाना है, जिसमे नगर निगम, गाजियाबाद भी प्रतिवादी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थापित एस0टी0पी0 के परिसर मे वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत जमा किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को प्राथमिकता के आधार पर हटाये सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार प्रोसेसिंग एवं निस्तारण सुनिश्चित कराने का कष्ट करे, जिससे कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।


(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:

1. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत प्रकरण पर ससमय रिस्पॉश मा0 अधिकरण के समक्ष दाखिल किया जाना सुनिश्चित कराये।


जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

Letter_2023_24_Sunil_RO SIR

ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)



04 DEC 2024



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 949/न0आ0/2024-25

दिनांक: 27.11.24

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सै0-18, वसुधरा, गाजियाबाद।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-1090/2024 मधुवन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक:1515/एन0जी0टी0-229/2024 दिनांक 23.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा याचिकाकर्ता श्री लीलाधर मिश्रा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष ओ0ए0 संख्या-1090/2024 मधुवन बापूधाम वैलफेयर सोसायटी बनाम नगर निगम गाजियाबाद में मधुवन बापूधाम आवासीय योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट (एस0टी0पी0) क्षमता 56 एम0एल0डी0 के बाहर रिक्त पड़ी भूमि पर, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अस्थायी रूप से एकत्रित किये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को हटाये जाने सम्बन्धी याचिका योजित की गई है:-

उक्त पत्र में वर्णित बिन्दुओं के क्रम में आख्या निम्नवत है:-

- कांठड यात्रा के दौरान प्रोसेसिंग साइट, पार्सप लाइन रोड मार्ग बन्द होने के कारण, नगर निगम सीमान्तर्गत उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट को बापूधाम एस0टी0पी0 के बाहर, रिक्त पड़ी भूमि पर एकत्रित किया गया था।
- 07 जून, 2024 को सम्बन्धित फर्म को बापूधाम एस0टी0पी0 में एकत्रित अपशिष्ट के परिवहन का कार्य प्रोसेसिंग साइट पार्सप लाइन रोड भिवकनपुर पर प्रोसेसिंग हेतु कार्यदायी फर्म मैसर्स जिरोन इन्जी0 प्रा0लि0 को भेजा जा रहा है।
- फर्म द्वारा निरन्तर अपशिष्ट के परिवहन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना निम्न है:-

Madhuban Bapudham Report					
Sr. No.	Year	Qty of Waste (In MT)	Waste Lifted (In MT) TH Date	Balance (In MT)	Remark
1	2023	40000	29287	31713	Will be Completed by January 2025
2	2024	21000			
Total		61000	29287	31713	

- कूड़ा उठान के उपरान्त रिक्त हुई भूमि पर उद्यान विभाग द्वारा लगभग 400-500 वृक्ष का पौधारोपण का कार्य प्रगति पर है। फोटोग्राफ संलग्न है।



अतः उपरोक्तानुसार आख्या सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपि-

- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मुक्त-1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

04 DEC 2024



ATTESTED

(Sandeep Sharma)
Reg. No. 1136/98
NOTARY PUBLIC
Chaziabad (U.P.)